भवन निर्माण सामग्री उद्योग को एक मंच पर लाने के लिए एफआईपीपीआई और भारत बिल्डकॉन में समझौता

सवेरा न्यूज/ कास.

नई दिल्ली, 6 नवंबर : देश के भवन निर्माण एवं निर्माण सामग्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री (एफआईपीपीआई) और भारत बिल्डकॉन ने हाथ मिलाया है। दोनों संस्थाएं मिलकर भवन निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकी और सेवाओं से जुड़े उद्योगों के लिए देश का सबसे बड़ा एकीकृत मंच तैयार करेंगी। इस संबंध में 2 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रथम इंडिया इंटरनेशनल प्लाईवुड एंड पैनल कांग्रेस 2026 के साथ आयोजित हुई। इसमें प्लाईवुड, पैनल, लैमिनेट्स और लकड़ी आधारित उत्पादों से जुड़े निर्माताओं एवं उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में आधुनिक तकनीक, टिकाऊ विनिर्माण और उद्योग की चुनौतियों पर चर्चा की गई।

भारत बिल्डकॉन के निदेशक जितेंद्र कथिरिया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भवन निर्माण सामग्री की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को एक राष्ट्रीय मंच पर लाना है। वहीं, निदेशक विशाल आचार्य ने कहा कि इससे भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने, निर्यात बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के अवसर मिलेंगे। एफआईपीपीआई के महानिदेशक एमपी सिंह ने इसे प्लाईवुड और पैनल उद्योग के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। भारत बिल्डकॉन 2027 का आयोजन 3 से 6 जून तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा। इसमें सीमेंट, स्टील, टाइल्स, फर्नीचर, आधुनिक निर्माण तकनीक और स्मार्ट बिल्डिंग समाधानों सहित विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां हिस्सा लेंगी।

आधी रात को गोकलगढ़ बाईपास पर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट

मनोज हत्याकांड के दोनों मुख्य शूटर मुठभेड़ के बाद सीआईए ने दबोचे

सवेरा न्यूज/ प्रियंका अग्रवाल

रेवाड़ी, 6 नवंबर : गत 4 नवंबर को गांव गोकलगढ़ में हुए चर्चित मनोज उर्फ गोलू हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपियों को रेवाड़ी पुलिस ने देर रात एक मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। सीआईए रेवाड़ी और सीआईए धारूहेड़ा की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



सामान्य अस्पताल में उपचाराधीन अपराधी।

वारदात की शुरुआत रात करीब पौने दो बजे हुई, जब सीआईए रेवाड़ी प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार को खुफिया सूचना मिली कि हत्याकांड के दो मुख्य शूटर मनिंदर उर्फ बुटर और हन्नी अवैध हथियारों के साथ गोकलगढ़ बाईपास पर घूम रहे हैं और दो अन्य युवकों की हत्या करने की ताक में हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए सीआईए धारूहेड़ा के प्रभारी निरीक्षक योगेश हुड्डा की टीम को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया और रेलवे फ्लाईओवर के नीचे तगड़ी नाकाबंदी कर दी गई।

पुलिस गाड़ियों की रोशनी पड़ते ही दोनों संदिग्ध पिलरों की आड़ लेकर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें चारों तरफ से घेरते हुए आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों ने सीधे पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ पांच राउंड फायर झोंक दिए। यह हमला इतना जानलेवा था कि एक गोली एएसआई सुनील कुमार की छाती पर बुलेटप्रूफ जैकेट में जा धंसी, जबकि दो गोलियां दोनों सीआईए प्रभारियों के कान के पास से सनसनाती हुई निकल गईं।

पुलिसकर्मियों ने अपनी जान को खतरे में देख तुरंत मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में नपी-तुली जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोलियां लगते ही दोनों बदमाश वहीं ढेर होकर गिर पड़े, जिसके बाद जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें मौके पर ही काबू कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल और एक देशी कट्टा बरामद हुआ है।

डीएसपी बावल सज्जन सिंह के अनुसार, मनिंदर उर्फ बुटर पर पहले से आर्म्स एक्ट, नशा तस्करी और जानलेवा हमले के करीब सात संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप में थाना रामपुरा में हत्या के प्रयास का नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दोनों को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा।

गोकलपुर दोहरा हत्याकांड: रेवाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ा 11वां आरोपी रोहित उर्फ मिच्चू, अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में

सवेरा न्यूज/ प्रियंका अग्रवाल

रेवाड़ी, 6 नवंबर : गांव गोकलपुर के पास हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए रेवाड़ी पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ जारी धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने मामले में शामिल 11वें आरोपी रोहित उर्फ मिच्चू निवासी गांव आसलवास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।



11वां आरोपी रोहित उर्फ मिच्चू।

मामले की जांच अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपिका अग्रवाल (आईपीएस) ने बताया कि 21 अगस्त को गोकलपुर के पास तीन युवकों के लहुलूहान हालत में पड़े होने की खबर मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो गांव मांढ़िया कलां निवासी जतिन मृत मिला, जबकि गंभीर रूप से घायल गांव निगांनियावास निवासी हिमेश ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरे युवक बुड़ाना निवासी यशपाल को मामूली चोटें आई थीं। मृतक जतिन के पिता देशराज के बयान पर थाना सदर रेवाड़ी में हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि यह पूरी खूनी वारदात कांवड़ यात्रा के दौरान शुरू हुई मामूली कहासुनी की रंजिश का नतीजा थी। बीते 5 अगस्त को यशपाल और उसके साथी कांवड़ यात्रा के लिए पिकअप गाड़ी तैयार कर रहे थे, तभी बुड़ानी निवासी नीरज से उनकी गाली-गलौज हो गई। इस विवाद के चलते 12 अगस्त को यशपाल पक्ष ने बुड़ानी के एक युवक के साथ मारपीट कर उसके पैर तोड़ दिए, जिसका केस धारूहेड़ा थाने में दर्ज हुआ। इसी मारपीट का बदला लेने के लिए दूसरे पक्ष ने 21 अगस्त को पूरी योजना बनाकर हमला किया और जतिन व हिमेश की हत्या कर दी।

रेवाड़ी पुलिस इस हत्याकांड में पहले ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें तरुण उर्फ टीका, मंजीत, रितेष, मनीष, सुनील उर्फ सन्नी, आशीष, धर्मपाल उर्फ सतपाल, सौरव, पवित्र और गौरव उर्फ गुल्लू शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल तीन गाड़ियां, दो अवैध देशी पिस्टल और एक रिवाल्वर भी बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें भी जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

5 दशक बाद पूरी हुई कलबोग सड़क, उबादेश को मिलेगा वैकल्पिक मार्ग

सवेरा ब्यूरो

शिमला, 6 नवंबर: कोटखाई के उबादेश क्षेत्र में पांच दशक से अधर में लटकी मेलठ-क्यूनल-कलबोग सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को 1.40 करोड़ रुपये से बनी इस सड़क का लोकार्पण किया। सड़क का काम 1960 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन भूमि संबंधी अड़चनों के कारण पूरा नहीं हो पाया था। अब इसके बनने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग मिलेगा।



मंत्री ने बताया कि सड़क के स्तरोन्नयन के लिए 4.76 करोड़ रुपये का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा गया है। उन्होंने नगान पंचायत में 1.75 करोड़ रुपये से बनी साढ़े चार किलोमीटर लंबी सड़क का भी उद्घाटन किया। यहां 75 लाख रुपये से बनने वाले आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला रखी। इसके लिए स्थानीय निवासी नंदलाल हांगटा ने भूमि दान की है। इस दौरान मंत्री ने कलबोग स्कूल में 4.33 करोड़ रुपये से बन रहे शैक्षणिक भवन का निरीक्षण भी किया। इसका निर्माण 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

ढालियावास में दुकान पर पुलिस की रेड: अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद, दुकानदार गिरफ्तार

सवेरा न्यूज/ प्रियंका अग्रवाल

रेवाड़ी, 6 नवंबर : सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के कड़े आदेशों की पालना में रेवाड़ी पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मॉडल टाउन थाना पुलिस ने गांव ढालियावास में एक दुकान पर अचानक छापेमारी कर अवैध पटाखों का भारी जखीरा पकड़ा और एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।



अवैध पटाखों के साथ पुलिस गिरफ्त में बैठा दुकानदार।

यह कार्रवाई 5 नवंबर को गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरस्वती विहार (कोनसीवास रोड) निवासी हेमंत कुमार ने ढालियावास स्थित अपनी दुकान में बिना किसी वैध लाइसेंस और अनुमति के भारी तादाद में पटाखे और आतिशबाजी छिपा रखी है, जिसे वह चोरी-छिपे बेचने की फिराक में है।

सूचना मिलते ही मॉडल टाउन थाने से एक विशेष रेडिंग पार्टी गठित की गई और बताए गए ठिकाने पर दबिश दी गई। अचानक हुई इस छापेमारी से दुकान में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब दुकान की तलाशी ली तो वहां गत्ते की पेटियों और बोरों में खुलेआम रखे पटाखों और फुलझड़ियों का अंबार मिला। दुकान संचालक हेमंत कुमार से जब आतिशबाजी रखने या बेचने से संबंधित लाइसेंस व दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका।

तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से फौजी बम, लेपर्ड किंग, अनार, स्काई शॉट, मुर्गा छाप, चकरी, फुलझड़ियों सहित करीब एक दर्जन से ज्यादा किस्मों के सैकड़ों पैकेट पटाखे जब्त किए। पुलिस ने सारा माल कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि बिना वैध लाइसेंस विस्फोटक सामग्री का भंडारण या बिक्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही आमजन से अपील की है कि ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों की जानकारी तुरंत 112 पर दें।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर)
1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक,
दिल्ली-110006

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(सरफ़ेसी अधिनियम 2002 के तहत)

परिशिष्ट - IV - A [नियम 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकाये की वसूली हेतु उसकी बिक्री 25.11.2026 को "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है।

25.11.2026 को आयोजित होने वाली ई-नीलामी (15 दिवसीय सूचना)

क्र. सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/सं.प्र.	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रुपये में)	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	रुपये में आरक्षित मूल्य / ईएमडी / अंकित वृद्धि
1.	सेहतनी गाजियाबाद	मिस्टर अभय मिश्रा मो.: 8588907378	उदयवीर सिंह / CBIN026208	पहली और दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर ए-68 पर आवासीय फ्लैट,खसरा नंबर 389, गांव-घोंडा गुर्जन खादर भजनपुरा, शाहदरा। नई दिल्ली, 110053 एरिया : 611.83 sqft मालिक : उदयवीर सिंह	11-05-2021 रु. 11.89 लाख + दूसरे चार्ज लागू डिडक्शन/रीपेमेंट	21.03.2025 (भौतिक)	₹ 14,50,000.00 / ₹ 1,45,000.00 / ₹ 10,000.00
2.	वसुंधरा गाजियाबाद	मिस्टर आनंद जायसवाल मो.: 8800013545	पुष्पेन्द्र कुमार / CBIN497202	सेकंड फ्लोर फ्लैट, SF-4, चार मंजिला बिल्डिंग प्लॉट नंबर B-5/1, Dlf अंकुर विहार, शिव वाटिका मंदिर के पास लोनी गाजियाबाद एरिया 37 16 Sq Ft मालिक : पुष्पेंद्र कुमार	09.07.2018 रु. 14.09 लाख + दूसरे चार्ज लागू डिडक्शन/ रीपेमेंट	28.10.2020 (भौतिक)	₹ 6,60,000.00 / ₹ 66,000.00 / ₹ 5,000.00
3.	पटपड़गंज दिल्ली	मिस्टर मोहित गंगवार मो.: 8171783511	जुनेजा ट्रेडिंग कंपनी प्रोप मैसर्ज रजनी जुनेजा मिसिज रमेश रानी जुनेजा / CBIN166902	शॉप नंबर 3097/03, प्रॉपर्टी का हिस्सा जिसका म्युनिसिपल नंबर 1502 (पुराना) और 3097 (नया) है, ग्राउंड फ्लोर वार्ड नंबर VI, मोहल्ला देशन पीपल महादेव हौज काजी दिल्ली-110006 में है। एरिया :83 sqft मालिक : रमेश रानी जुनेजा	17.10.2025 रु. 11.32 लाख + दूसरे चार्ज लागू डिडक्शन/रीपेमेंट	12.06.2026 (भौतिक)	₹ 9,90,000.00 / ₹ 99,000.00 / ₹ 5,000.00
4.	वसुंधरा गाजियाबाद	मिस्टर आनंद जायसवाल मो.: 8800013545	शिव सिंह / CBIN497204	फ्लैट नंबर SF-2, दूसरा फ्लोर (छत के अधिकार के साथ) सामने की तरफ, एमआईजी प्लॉट नंबर A-7/6,Dlf अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद, एरिया 55.74 sqmt मालिक : शिव सिंह	04.02.2025 रु. 33.63 लाख + दूसरे चार्ज लागू डिडक्शन/रीपेमेंट	16.01.2026 (भौतिक)	₹ 13,80,000.00 / ₹ 1,38,000.00 / ₹ 10,000.00
5.	उस्मानपुर दिल्ली	मिस्टर हुसैन अली मो.: 9568431985	अजय कुमार मिश्रा / CBIN352402	फ्लैट नंबर FF-3, LIG, पहला फ्लोर, सामने की तरफ, प्लॉट नंबर A 27, गंगा विहार, हदबस्त ग्राम सादुल्लाबाद परगना लोनी, तहसील और जिला- गाजियाबाद, यूपी एरिया : 37.16 sqmt मालिक : अजय कुमार मिश्रा	13.09.2023 रु. 8.57 लाख + दूसरे चार्ज लागू डिडक्शन/रीपेमेंट	18.01.2025 (भौतिक)	₹ 7,95,000.00 / ₹ 79,500.00 / ₹ 5,000.00
6.	उस्मानपुर दिल्ली	मिस्टर हुसैन अली मो.: 9568431985	सुधा भास्कर / CBIN352405	प्रॉपर्टी फ्लैट नंबर F-5, , पहला फ्लोर, LIG पीछे की तरफ बिना रूफ के, ब्लॉक B-01, प्लॉट नंबर 8-1/151, DLF दिलशाद Extn2, साहिबाबाद, गाजियाबाद (यूपी) माप-450 वर्ग फीट। मालिक : सुधा भास्कर	21.05.2021 रु. 12.53 लाख + दूसरे चार्ज लागू डिडक्शन/रीपेमेंट	09.04.2025 (भौतिक)	₹ 10,65,000.00 / ₹ 1,06,500.00 / ₹ 10,000.00
7.	एसडीएस स्कूल दिल्ली	मिस्टर भावेश कुमार मो.: 8521795402	श्री एजेन्सीज / CBIN3323001	पूरा ग्राउंड फ्लोर (बिना छत के अधिकार के) संपत्ति नंबर 29 खसरा नंबर 430 पर निर्मित। भगत सिंह गली पश्चिम बाबर पुर, शाहदरा, दिल्ली-110032 की आबादी में मौजपुर गाँव में स्थित। क्षेत्रफल-360 वर्ग फीट। मालिक-श्रीमती दीपा भारद्वाज पत्नी श्री विकास भारद्वाज	20.10.2023 रु. 58.70 लाख + दूसरे चार्ज लागू डिडक्शन/रीपेमेंट	10.06.2025 (भौतिक)	₹ 13,60,000.00 / ₹ 1,36,000.00 / ₹ 10,000.00
8.	पीतमपुरा नई दिल्ली	पूनम कुमारी मो.: 8383803088	फेबा साबू एंड सुभीन टी / CBIN3490001	प्रथम तल नंबर 203 बिना छत / टेरेस अधिकारों के बुल पर संपत्ति प्लॉट नंबर B-63, माप 57.25 sq yard आई 47.87 sqmtr (229 sq yard में से) खसरा नंबर 317 में से राजस्व संपदा में स्थित गाँव बिंदापुर क्षेत्र की आबादी कॉलोनी संजय एन्क्लेव, उत्तम नगर नई दिल्ली-110059 के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रफल-515.25 sqft मालिक- श्रीमती फेबू साबू और श्री सुभीनटी	03-02-2025 रु. 16.86 लाख + दूसरे चार्ज लागू कटौती/ रीपेमेंट	27.10.2025 (भौतिक)	₹ 14,00,000.00 / ₹ 1,40,000.00 / ₹ 10,000.00
9.	सेहतनी गाजियाबाद	मिस्टर अभय मिश्रा मो.: 8588907378	अंकुर अग्रवाल / CBIN026203	ग्राउंड फ्लोर रेजिडेंशियल फ्लैट प्लॉट नंबर 36-A शाम नगर, खुरेजी खास, शाहदरा दिल्ली-110051, एरिया 50.16Sqmt मालिक : अंकुर अग्रवाल	29.07.2019 रु. 11.48 लाख+ दूसरे चार्ज लागू कटौती/ रीपेमेंट	18.01.2019 (भौतिक)	₹ 13,70,000.00 / ₹ 1,37,000.00 / ₹ 10,000.00
10.	उस्मानपुर दिल्ली	मिस्टर हुसैन अली मो.: 9568431985	राम दरश राम / CBIN352401	MIG फ्लैट नंबर GF-2 (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नंबर B-12/11, Dlf अंकुर विहार, Vill सादुल्लाबाद परगनी लोनी, जिला-गाजियाबाद UP एरिया 700 Sq Ft मालिक : राम दरश राम	23.10.2018 रु.22.28 लाख + दूसरे चार्ज लागू कटौती/रीपेमेंट	19.02.2019 (भौतिक)	₹ 10,85,000.00 / ₹ 1,08,500.00 / ₹ 10,000.00
11.	वसुंधरा गाजियाबाद	मिस्टर आनंद जायसवाल मो.: 8800013545	आकाश शर्मा / CBIN497205	फ्लैट नंबर Sf-5, सैकंड फ्लोर (छत के अधिकार के साथ), बैक साइड लिग, प्लॉट नंबर A-7/6, Dlf अंकुर विहार, लोनी गाजियाबाद एरिया : 37.16sqmt मालिक : आकाश शर्मा	12.09.2023 रु.17.33 लाख + दूसरे चार्ज लागू कटौती/ रीपेमेंट	16.01.2026 (भौतिक)	₹ 6,65,000.00 / ₹ 66,500.00 / ₹ 5,000.00
12.	उस्मानपुर दिल्ली	मिस्टर हुसैन अली मो.: 9568431985	दीपक तिवारी / CBIN3524001	फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नंबर A-113, सैकंड फ्लोर, प्राइवेट फ्लैट नंबर SF-1, फ्रंट लेफ्ट साइड (साउथ वैस्ट), छत के अधिकार के साथ, कॉलोनी में स्थित जिसे Slf Ved Vihar, परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश, 201102 एरिया-400 Sq Ft. मालिक : श्री दीपक तिवारी पुत्र श्री गणेश तिवारी	21-05-2024 रु.11.29 लाख + दूसरे चार्ज लागू कटौती / रीपेमेंट	19.07.2025 (भौतिक)	₹ 6,50,000.00 / ₹ 65,000.00 / ₹ 5,000.00
13.	उस्मानपुर दिल्ली	मिस्टर हुसैन अली मो.: 9568431985	मुशाहिद आलम / CBIN3524002	प्रॉपर्टी बेयरिंग नंबर F-32 और F-33, ग्राउंड फ्लोर, आ. फ्लैट नंबर GF-2, बिना छत के टैरेस राइट्स के, एट कॉलोनी SLF वेद विहार, परगना-लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित है उत्तर प्रदेश-201102 एरिया-400 Sq Ft. मालिक : मुशाहिद आलम पुत्र जमशेद आलम	28-05-2024 रु.10.45 लाख + दूसरे चार्ज लागू कटौती/ रीपेमेंट	19.07.2025 (भौतिक)	₹ 6,50,000.00 / ₹ 65,000.00 / ₹ 5,000.00
14.	वसुंधरा गाजियाबाद	श्री आनंद जायसवाल मो.: 8800013545	विशाल कुमार शर्मा / CBIN497205	रेजिडेंशियल फ्लैट, फर्स्ट फ्लोर (बिना छत के राइट) खसरा नं. 380, रुद्रा निवास का हिस्सा, इंदरगढ़ी गांव व परगना डासना, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 एरिया 70 Sqm मालिक : विशाल केआर शर्मा और प्रेमलता शर्मा	02-09-2020 रु. 18.78 लाख+ दूसरे चार्ज लागू कटौती/रीपेमेंट	20.12.2021 (भौतिक)	₹ 11,05,000.00 / ₹ 1,10,500.00 / ₹ 10,000.00
15.	वसुंधरा गाजियाबाद	श्री आनंद जायसवाल मो.: 8800013545	अनिता शर्मा / CBIN497216	रेजिडेंशियल बिल्डर फ्लैट, खसरा नंबर 300 का हिस्सा चार मंजिला बिल्डिंग में से, ग्राउंड फ्लोर, बिना छत के राइट्स के, विलेज-इंदरगढ़ी, परगना डासना, ब्लॉक-C के पास, गोविंदपुरम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201001, एरिया 60 Sqmt. मालिक : अनिता शर्मा	29-02-2020 रु.21.30 लाख+ दूसरे चार्ज लागू कटौती रीपेमेंट	16.11.2021 (भौतिक)	₹ 9,45,000.00 / ₹ 94,500.00 / ₹ 5,000.00
16.	सदर बाजार दिल्ली	श्री सन्नी कुमार मो.: 8800013540	अमित सैनी एवं वंदना सैनी / CBIN029301	फ्लैट नंबर J-44/SL-सेकंड फ्लोर पर बिना रूफ राइट्स के, एरिया 600 Sq Feet, लिंग कैटेगरी के तहत, दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन नंबर 1 में स्थित, जिसे अब दिलशाद कॉलोनी के नाम से जाना जाता है गांव झिलमिल ताहिरपुर शाहदरा, दिल्ली 110095 Area :55.74Sqmt. मालिक : अमित सैनी और वंदना सैनी	17-02-2021 रु. 31.03 लाख+ दूसरे चार्ज लागू डिडक्शन रीपेमेंट	30.12.2024 (भौतिक)	₹ 15,15,000.00 / ₹ 1,51,500.00 / ₹ 10,000.00
17.	पटेल नगर गाजियाबाद	श्री विनोद मीणा मो.: 9694707646	सोनिया -- / CBIN402508	रेजिडेंशियल फ्लैट नंबर न्यायखंड-3/487, EWS ग्राउंड फ्लोर बिना रूफ राइट्स के, इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश Area 24.65 Sq Mtr मालिक : सुश्री सोनिया W/o विक्रम सिंह	01-03-2025 रु. 9.67 लाख + दूसरे चार्ज लागू डिडक्शन/रीपेमेंट	05.12.2025 (भौतिक)	₹ 6,50,000.00 / ₹ 65,000.00 / ₹ 5,000.00
18.	एलआरपीजी कालेज गाजियाबाद	सुश्री एकता कपूर मो.: 8800013520	आरती कपूर / CBIN331403	फ्लैट नंबर 304 Mig फर्स्ट फ्लोर राइट हैंड बैक साइड बिना रूफ राइट्स के प्लॉट नंबर B-11/15, DLF अंकुर विहार पर स्थित, हदबस्त गांव-सादुल्लाबाद। परगना और तहसील लोनी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश एरिया-55.74S q M t r मालिक : आरती कपूर पत्नी नितिन कपूर	22-11-2023 रु. 22.43 लाख + दूसरे चार्ज लागू डिडक्शन/रीपेमेंट	02.12.2025 (भौतिक)	₹ 12,00,000.00 / ₹ 1,20,000.00 / ₹ 10,000.00

ई-नीलामी की तिथि: 25.11.2026, समय: 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे अपराह्न तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय: 25.11.2026 को 03:30 बजे अपराह्न तक। संविदाकार वेबसाइट: https://BAANKNET.com पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ ट्रांसफर/ (https://BAANKNET.com) से चालान उत्पन्न करने के माध्यम से BAANKNET ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा। नीलामी सामान्य लैंडिंग प्लेटफॉर्म BAANKNET.com पोर्टल (https://BAANKNET.com) के माध्यम से आयोजित की जायेगी। ई-नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर आयोजित की जायेगी। (सम्पत्ति के अन्य सभी शुल्क/बकाया क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे) विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट: www.centralbank.bank.in अथवा नीलामी प्लेटफार्म (https://BAANKNET.com) में प्रावधानित लिंक देखें। BAANKNET हेल्पलाइन नं.: +91 8291220220, ई-मेल: E-mail: support.BAANKNET@psballiance.com

सरफ़ेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अभिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांक: 06.11.2026
स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, से.का. दिल्ली (उत्तर), दिल्ली